न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 18/2018/अपील

केसरी देवी पत्नी नारायण सिंह जाति जाट निवासिनी मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 सदा कंवर पुत्री पदम सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासिनी मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल आबाद ससुराल तेहनदेसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू

2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 ग्राम जालू द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री भंवरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः—23.03.2026**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 220 रकबा 2.0500 है0, खसरा नम्बर 221/3 रकबा 1.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4100 है0 वाके ग्राम जालू पटवार हल्का घिरणियां तहसील लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 221/3 में से रकबा 1.24 है0 भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 221/3 में 0.12 है0 भूमि इसके पूर्व खातेदार काश्तकार उम्मेद सिंह पुत्र गोप सिंह के खाते कब्जे काश्त की है। अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 423 दिनांक 23.07.2004 के जरिये खाते कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमियों को विवादित बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष एक वाद पत्र उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2015 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वाद पत्र डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्ध सहखातेदारान, काश्तकारान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। जिस दरम्यान अपील मियाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 दर्ज करवा लिया। निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध अपीलाण्ट के सह खातेदारान, काश्तकारान भंवरी वगैराह ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिस पर राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने दिनांक 03.02.2016 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 को खारिज कर दिया तथा प्रकरण को योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में दोनों पक्षों के साक्ष्य सबुत एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करे। जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां जैरकार है। नामान्तकरण संख्या 715 दिनाक 14.07.2015 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 के जरिये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया परन्तु आज दिनांक को योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 खारिज हो चुका है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

निर्णय व डिक्री दिनाक 25.06.2015 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के द्वारा निरस्त की जा चुकी है जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह का स्थगन अथवा अपील लम्बित नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 तस्दीक किया गया है। चूंकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कानूनन आज अस्तित्व में नहीं होने से नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 खारिज होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निरस्त किये जाने की बार बार अपीलाण्ट द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 निरस्त नहीं किया जा रहा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त कृषि भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है जिसका उसको कोई हक अधिकार नहीं है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनाक 25.06.2015 के अपील मियाद की अवधि पुरी होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कानूनी नियमों को तांक में रखकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 तस्दीक कर दिया। नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व योग्य तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने अपीलाण्ट का कब्जा निरन्तर चला आ रहा हैं, को कोई नोटिस व सूचना दिये बिना ही नामान्तकरण सम्बन्धी नियमों की पालना किए बिना ही नामान्तकरण जैरअपील स्वीकार कर लिया जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामांतकरण संख्या 715 दिनांक 14.07.2015 ग्राम जालू तहसील लक्ष्मणगढ़ को निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खातेदारी पूर्व स्थिति में बहाल किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण का अवलोकन करने पर अपीलाधीन नामांतकरण मुताबिक न्यायालय आदेश फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील संख्या 107/2015 अनुवानी भंवरी वगै0 बनाम सदाकंवर वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.06.2015 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों को साक्ष्य सबुत एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 की अनुपालना में वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा में वाद विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार अपीलाधीन नामांतकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजियात के बाबत वाद विचाराधीन रहते हुए एवं जिस निर्णय व डिकी की अनुपालना में अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया गया उक्त निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर वर्तमान में वाद विचाराधीन होने से अपील के माध्यम से नामांतकरण को चुनौती दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर